

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

डी.बी. आयकर अपील संख्या 111/2023

कैलाश चंद शर्मा, चारभुजा मंदिर के पास, आयु लगभग 64 वर्ष, ओल्ड
केकड़ी, केकड़ी, अजमेर - 305404

-----अपीलकर्ता

बनाम

आयकर आयुक्त 1, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टैच्यू सर्कल, जयपुर (राज.)

-----प्रतिवादी

अपीलकर्ता के लिए : सुश्री डॉली शर्मा, अधिवक्ता, श्री प्रतीक
कासलीवाल, अधिवक्ता के लिए।

प्रतिवादी के लिए : श्री अनुराग माथुर, अधिवक्ता,
श्री शांतनु शर्मा, अधिवक्ता के लिए।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

05/07/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. यह अपील आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'अधिनियम') की धारा
260 ए के तहत आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर
(इसके बाद 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 22.06.2021 के आदेश के
खिलाफ दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता एक आयकर निर्धारिती है और मूल्यांकन वर्ष 2014-15 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया, जिसमें 6,05,250/- रुपये की पेंशन से आय घोषित की गई। विभाग को अपीलकर्ता के बैंक खाते में 47,30,000/- रुपये की नकद जमा राशि की जानकारी मिली। अधिनियम की धारा 143(3) के तहत नोटिस जारी किया गया था। अपीलकर्ता ने जवाब दिया कि जमा की गई नकदी काना राम की थी, जिसने एक अचल संपत्ति बेची थी और उसके पास बैंक खाता नहीं था। इसके अलावा, राशि उसके बैंक खाता खोलने पर काना राम को वापस की जानी थी। काना राम को बुलाया गया, उसने अपने वकील के माध्यम से एक विपरीत रुख लेते हुए जवाब दाखिल किया। 26.12.2018 के आदेश के माध्यम से अंतिम रूप से किए गए मूल्यांकन में 34,50,000/- रुपये का अतिरिक्त जोड़ किया गया। पहली अपील 22.02.2019 को खारिज कर दी गई थी। अपीलकर्ता न्यायाधिकरण के समक्ष विफल रहा, इसलिए, वर्तमान अपील।

3. अपील में कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तावित किए गए हैं:-

i) क्या माननीय आईटीएटी का आदेश कानून में और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ए.ओ. द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 68 के तहत लगाए गए 10,15,921/- रुपये के नकद जमा को सही ठहराने में त्रुटिपूर्ण है।

ii) क्या अपीलकर्ता-निर्धारिती द्वारा एक हलफनामे में सामने रखे गए तथ्यों को अपीलकर्ता-निर्धारिती द्वारा लिए गए रुख को

खारिज करने के लिए किसी भी सामग्री के बिना
नजरअंदाज किया जा सकता है?

iii) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में
आईटीएटी कानून में अंतिम तथ्य-खोज प्राधिकरण
के रूप में कार्य न करके उचित था?

iv) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में
आईटीएटी ने विकृत रूप से कार्य किया है?

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि अपीलकर्ता ने यह समझाकर जिम्मेदारी का निर्वहन किया कि जमा की गई नकदी काना राम की थी और सच्चाई को सामने लाना आकलन अधिकारी का काम था। उनका तर्क है कि यह दिखाने के लिए खाता विवरण संलग्न किए गए थे कि जमा की गई नकदी काना राम के कहने पर हस्तांतरित की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जो **कमिशनर ऑफ इनकम टैक्स बनाम डिवाइन लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड** के मामले में है, जो [(2008) 299 ITR 268 (दिल्ली)] में रिपोर्ट किया गया है।

5. विभाग के विद्वान वकील ने विवादित आदेश का बचाव किया और कहा कि अपीलकर्ता बैंक खाते में की गई नकद जमा को समझाने में विफल रहा।

6. अपीलकर्ता नकद जमा को समझाने की जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रहा। काना राम द्वारा यह इनकार करने पर कि नकदी उसकी थी, सामने रखी गई व्याख्या बेकार साबित हुई। यह स्थापित करने के लिए काना राम के कोई आयकर रिटर्न प्रस्तुत नहीं किए गए कि अचल संपत्ति

की बिक्री को रिटर्न में घोषित किया गया था। काना राम की साख साबित नहीं हुई थी।

7. यह स्पष्टीकरण कि काना राम की राशि अपीलकर्ता के बैंक खाते में जमा की गई थी, काना राम द्वारा इनकार किए जाने पर झूठा साबित हुआ। यह रुख कि राशि काना राम को उसका बैंक खाता खोलने पर हस्तांतरित की जानी थी, बाद में बदल दिया गया। यह कहा गया कि नकदी की राशि काना राम के कहने पर विभिन्न व्यक्तियों को हस्तांतरित की गई थी। यह ध्यान देना प्रासंगिक होगा कि इस रुख की भी पुष्टि नहीं हुई थी। प्रस्तुत किए गए बैंक विवरणों में डेबिट प्रविष्टियां थीं, लेकिन कहीं भी यह संकेत नहीं दिया गया था कि हस्तांतरण काना राम के कहने पर किए गए थे।

8. **कमिशनर ऑफ इनकम टैक्स बनाम डिवाइन लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड (supra)** के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना व्यर्थ है। दिल्ली उच्च न्यायालय उस मुद्दे से निपट रहा था जहां एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी द्वारा एक सार्वजनिक निर्गम से प्राप्त सदस्यता पर संदेह किया गया था। आकलन अधिकारी के शेयरधारकों को बेनामी या काल्पनिक व्यक्ति या पूंजी का हिस्सा होने का संकेत देने वाले भौतिक साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लाने में विफल रहने पर, कि कंपनी की आय अज्ञात स्रोतों से थी, अतिरिक्त जोड़ को हटाना बरकरार रखा गया था। वर्तमान मामले में नकदी अपीलकर्ता के बैंक खाते में जमा की गई थी और नकदी के स्रोत को समझाने में विफलता थी।

9. दोनों अपीलीय अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनता है। कानून का कोई प्रश्न नहीं उठता, और न ही विचार के लिए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है।

10. अपील खारिज की जाती है।

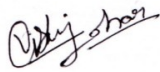
(आशुतोष कुमार), जे

(अवनीश झिंगन), जे

एचएस/मदन/39

रिपोर्ट करने योग्य:- हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़